



राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा.सं.: NCST/ATY-1781/UP/1/2024-APCR-RU-IV

दिनांक : 28.11.2025

सेवा में,

जिलाधिकारी,
जिला मुजफ्फरनगर,
जिलाधिकारी, कार्यालय,
मुजफ्फरनगर, प्रकाश चौक के पास,
उत्तर प्रदेश -251001
Email Id: dmmuz@nic.in

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
जिला मुजफ्फरनगर,
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय,
मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश -251001
Email Id: sspzuf-up@nic.in

विषय: प्रार्थी श्री वैभव जोशी तथा उनके कर्मचारियों के साथ जातिसूचक गाली -गलौज, मार - पीट, जान से मारने, अवैध वसूली तथा व्यवसाय न करने देने की धमकी दिये जाने की शिकायत हेतु।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की माननीया सदस्य डॉ आशा लकड़ा की अध्यक्षता में दिनांक 31.10.2025 को आयोग में हुई सिटिंग के कार्यवृत्त की प्रति संलग्न कर आपको प्रेषित है।

आपसे अनुरोध है कि सिटिंग के कार्यवृत्त में की गई अनुशंसाओं पर अनुपालन रिपोर्ट की गई कार्रवाई /की रिपोर्ट 15 दिनों के भीतर आयोग को प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

भवदीय

(यो. प्र. यादव / Y. P. Yadav)
उप सचिव / Deputy Secretary
E.mail ID: rahul.1424@ncst.nic.in

प्रति सूचनार्थ:

श्री वैभव जोशी,
हाल नं. 12, विनय पार्क मोदी नगर,
जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश
मोबाइल नं.: 9582415412

PS to Hon'ble Member (Dr. Asha Lakra)

NIC for uploading



राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फाइल नं : NCST/ATY-1781/UP/1/2024-APCR

अभ्यावेदक श्री वैभव जोशी, हाल नं. 12, विनय पार्क, मोदी नगर, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, से प्राप्त अभ्यावेदन "प्रार्थी श्री वैभव जोशी तथा उनके कर्मचारियों के साथ जातिसूचक गाली-गलौज, मार-पीट, जान से मारने, अवैध वसूली तथा व्यवसाय न करने देने की धमकी दिए जाने" के संबंध में आयोग की माननीय सदस्य डॉ. आशा लकड़ा की अध्यक्षता में दिनांक 31.10.2025 को लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में हुई सिटिंग का कार्यवृत्त।

सुनवाई की तिथि एवं समय : 31.10.2025 को अपराह्न 03:40 बजे
सुनवाई में उपस्थित प्रतिभागी : अनुलग्नक-1 के अनुसार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में दिनांक 30.07.2024 को श्री वैभव जोशी पुत्र जगत राम जोशी की शिकायत प्राप्त हुई। शिकायत में उन्होंने उल्लेख किया कि वे, "सिया राम फ्यूल्स" पेट्रोल पम्प, ग्राम भैसी, तहसील खतौली, जनपद मुजफ्फरनगर के प्रोप्राइटर हैं तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित हैं। उनके अनुसार ग्राम निवासी विशाल जाट एवं चहक जाट जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर उनसे एवं उनके कर्मचारियों से अभद्र व्यवहार करते हैं तथा पम्प बंद कराने की धमकियाँ देते हैं। दिनांक 14/15.07.2024 को इन व्यक्तियों द्वारा पम्प पर घटतौली का झूठा आरोप लगाकर भीड़, मीडिया एवं विभागीय अधिकारियों को गुमराह किया गया, जबकि पुलिस एवं जनता की उपस्थिति में स्कूटी से निकाले गए पेट्रोल की मात्रा 7 लीटर से अधिक पाई गई। इसके पश्चात भी धमकियाँ जारी रहीं। दिनांक 26.07.2024 को रात्रि में पम्प पर आए तीन व्यक्तियों ने सेल्समेन अतुल कुमार के साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। प्रार्थी को संदेह है कि यह घटना भी उक्त व्यक्तियों द्वारा कराई गई। तहरीर थाना खतौली में दी जा चुकी है। प्रार्थी का आरोप है कि उक्त आरोपी दबाव व भय उत्पन्न कर अवैध लाभ लेना चाहते हैं तथा जातिगत आधार पर उसके व्यवसाय को बाधित कर रहे हैं। अतः प्रार्थी ने आरोपियों के विरुद्ध उपयुक्त धाराओं में अभियोग पंजीकृत करने एवं उसके जान-माल व व्यवसाय की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु कार्रवाई की प्रार्थना की है।

2. इस प्रकरण में आयोग द्वारा 15 दिनों की अवधि में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर (उत्तर प्रदेश) तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरनगर (उत्तर प्रदेश) को दिनांक 21.08.2024 को नोटिस जारी किया गया था।

3. आयोग के नोटिस के संदर्भ में, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरनगर (उत्तर प्रदेश) द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन पत्र संख्या: एसटी-ई-7 (ए)/2024/38, दिनांक 09.12.2024 के अनुसार, क्षेत्राधिकारी खतौली को आवश्यक जांच के लिए निर्देशित किया गया था। जांच के आधार पर, आवेदक श्री वैभव जोशी पुत्र जगत राम जोशी, निवासी विनय पार्क, मोदीनगर, गाजियाबाद द्वारा लगाए गए आरोपों/तथ्यों के संबंध में थाना खतौली पर दिनांक 08.12.2024 को मु0अ0सं0 486/2024 पंजीकृत किया गया। यह मामला धारा 115(2), 308(3), 351(2) BNS तथा 3(1), 3(2), 5A SC/ST एक्ट के तहत निम्न नामजद अभियुक्तों 1. विशाल पुत्र ब्रजपाल 2. चहक पुत्र स्व. राज सिंह (दोनों निवासी: गाँव भैसी, थाना खतौली, मुजफ्फरनगर) के विरुद्ध दर्ज हुआ। मामले की विवेचना क्षेत्राधिकारी खतौली द्वारा की जा रही है। उन्हें साक्ष्यों का गहन संग्रह कर विधिक प्रावधानों के आधार पर शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।

आशा लकड़ा

4. प्रकरण के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरनगर (उत्तरप्रदेश) से प्राप्त प्रतिवेदन कि प्रतिलिपि अभ्यावेदक श्री वैभव जोशी को दिनांक 25.09.2025 को जानकारी हेतु भेजी गई थी।

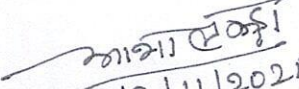
5. शिकायतकर्ता द्वारा दिनांक 30.09.2025 को प्रस्तुत उत्तरपत्र (rejoinder) के माध्यम से अपनी असहमति प्रकट की गई।

6. मामले की गंभीरता को देखते हुए तथा शिकायतकर्ता के लगातार अनुरोध पर आयोग द्वारा संबंधित अधिकारियों के साथ सुनवाई निर्धारित की गई और तदनुसार उन्हें समन जारी किए गए।

7. सुनवाई के दौरान उप-खंड दंडाधिकारी (SDM), मुजफ्फरनगर उपस्थित हुए एवं अंचलाधिकारी (CO) खतौली मुजफ्फरनगर उपस्थित हुए। अभ्यावेदक भी सुनवाई के दौरान व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए। पुलिस विभाग ने बताया की उपवर्णित मामले में मुकदमा दर्ज कर सम्बन्धित न्यायालय में चालान पेश कर दिया गया है एवं वहां अभी भी रेगुलर पुलिस PCR चक्कर लगाती है जिसपर प्रार्थी ने बताया की उसके पेट्रोल पम्प पर अभी भी विरोधी पक्ष आकर धमकी देते हैं व उनके कर्मचारियों को भी धमकाया जाता है।

8. सुनवाई उपरान्त आयोग द्वारा निम्नलिखित अनुशंसाएँ की जाती हैं :

- i. प्रार्थी के पेट्रोल पंप के समीप पुलिस विभाग द्वारा एक पीसीआर पॉइंट स्थापित किया जाए, ताकि इस प्रकार के मामलों की पुनरावृत्ति रोकी जा सके।
- ii. मामले में आवश्यक कार्यवाही करते हुए संबंधित रिपोर्ट 15 दिवस के भीतर आयोग को प्रस्तुत की जाए।


12/11/2025
(डॉ. आशा लकड़ा)

सदस्य

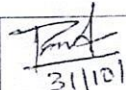
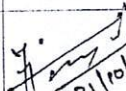
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

डॉ. आशा लकड़ा / Dr. Asha Lakra
सदस्य / Member
भारत सरकार / Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली / New Delhi

Attendance Sheet
National Commission for Scheduled Tribes

NCST/ATY-1781/UP/1/2024-APCR

Sitting to be held on 31.10.2025 at 03.40 P.M- प्रार्थी श्री वैभव जोशी तथा उनके कर्मचारियों के साथ जातिसूचक गालीगलौज -, गार पीट-, जान से मारने, अवैध वसूली तथा व्यवसाय न करने देने की धमकी दिये जाने की शिकायत हेतु.

Sl. No.	Name and Designation	Address & Phone No.	Signature
I	National Commission for Scheduled Tribes		
1.	Dr. Asha Lakra Hon'ble Member	In Chair	
2.	Shri Yogendra Prasad Yadav Deputy Secretary		
3.	Shri H.R. Meena Consultant		
4.	Shri Rahul Investigator		
5.	Ms. Riya Investigator		
6.	Shri Rahul Yadav Legal Consultant		
7.			
II	Officers from O/o Collector & District Magistrate, Muzaffar Nagar, UP		
1.	NIKITA SHARMA	SDM Khatauli, Muzaffarnagar	 31.10.25
2.			
3.			
III	Officers from O/o Sr. Superintendent of Police, Muzaffar Nagar, UP		
1.	RAM ASHISH YADAV	CO Khatauli Muzaffarnagar	 31/10/25
2.			
3.			
IV	Petitioners		
	VAIBHAV JOSHI	Petitioner.	 31/10/25